न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई (राज0)

रामकरण सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0–244 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 21.05.2025

1. अनुराधा पुत्री भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
2. फूला पत्नी भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
3. मुकेश पुत्र भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
4. मीरा पुत्री भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
5. मोती पुत्र भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
6. राजकुमार पुत्र भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0
7. रामफूल पुत्र भोमा जाति माली निवासी गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक राज0

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला–टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित– श्री हीरालाल चौधरी, वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

दावा बाबत रहन बागुजास्त किये जाने हेतु

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद रहन बागुजास्त किये जाने हेतु बाबत आराजी खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.0506 हैक्टे, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.1518 हैक्टे, खसरा नम्बर 1227 रकबा 0.1897 हैक्टे वाके ग्राम गुन्सी पटवार हल्का तहसील निवाई पेश किया। जिसमें अंकितानुसार उक्त आराजियात पर ग्रादी काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अपनी भूमि को शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुए है । वाद वर्णित भूमि पर वादीगण के पूर्वजो द्वारा छीतर, रामदेव, गोपाल पि0 शिवदाव, भगवती पुत्री शिवदास, फूला पत्नी स्व0 शिवदास माली निवासी गुन्सी के पूर्वजों के रहन रखी गई थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2011–2030 में हो रखा है उसके बाद लगातार सभी जमाबन्दी में आज दिन तक भी रहन दर्ज आ रही है, जबकि कानूनन किसी भी कृषि भूमि पर 3 साल तक ही रहन का नोट अंकित किया जा सकता है उसके बाद भूमि स्वतः ही रहन मुक्त मानी जाती है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है के ऐसी भूमि जो वर्षो से रहन चली आ रही है उनको स्वतः ही रहन बागुजास्त किया जा सकेगा। इसलिए ग्रादीगण की भूमि रहन बागुजास्त किया जाकर रहन मुक्त किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। वादकारण 10 दिवस पूर्व पैदा हुआ जब वादीगण ने वर्तमान जमाबन्दी निकलवाकर तहसीलदार निवाई व पटवारी हल्का को भूमि रहन मुक्त करने हेतु कहा तो उन्होंने न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा व भूमि को रहन बागुजास्त करने से मना कर दिया तब से वाद कारण बहक ग्रादीगण विरूद्ध प्रतिवादी लगातार पैदा हो रहा है। अतः वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी रहन बागुस्त इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.0506 हैक्टे, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.1518 हैक्टे, खसरा नम्बर 1227 रकबा 0.1897 हैक्टे वाके ग्राम गुन्सी पटवार हल्का तहसील निवाई को रहन बागुजास्त किया जाकर रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को सही किये जाने का आदेश प्रतिवादी तहसीलदार निवाई को दिया जाकर भूमि को रहन मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। इस आशय की डिक्री बहक वादीगण पारित फरमावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रकरण मे वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2071–2074, संवत 2011 से 2067, नकल भू–प्रबन्ध सेटलमेंट सं0 2011 से 2030 ग्राम गुन्सी आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। वाद–पत्र के सम्बन्ध में पटवार हल्का व भू0अ0नि0 गुन्सी की रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सूनी गई अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरान करते हुये वाद वर्णित भूमि का रहन बागूजास्त किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने वाद वर्णित भूमि को रहन बागूजास्त किये जाने पर सहमति प्रदान की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2011 से 2030 के अनुसार वाद वर्णित भूमि पर राहिन शिवप्रताप व अन्य के नाम है जो कि जमाबन्दी संवत 2011 से

उपखण्ड अधिकारी

2030 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) खतोनी से लगातार जमाबन्दी संवत 2079 (वर्ष 2022) तक स्थायी रूप से लगातार अंकित चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 (2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बन्धक में यह उपबन्ध होगा कि बन्धक राशि उक्त सम्पति को भोग द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो (पांच वर्ष) से अधिक न हो, संदत्र कर दी गई समझी जायेगी तथा धारा 43 (4) के अनुसार किसी भूमि का भोग बन्धक जो राज0 काश्तकारी अधिनियम से पहले किया गया हो, उक्त बन्धक विलेख में उल्लेखित अवधि खत्म होने पर या उसके निष्पादन की तारीख से बीस वर्ष बाद, जो भी अवधि कम हो, बन्धककर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई संदाय किये बिना, पूर्ण रूप से चुकाया जा चुका समझा जावेगा। इस स्थिति में वादग्रस्त भूमि से रहन हटाने का आदेश दिया जाना उचित एवं न्याय संगत है। जो विधि के प्रावधानों के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1097 रकबा 0.0506 हैक्टे, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.1518 हैक्टे, खसरा नम्बर 1227 रकबा 0.1897 हैक्टे वाके ग्राम गुन्सी पटवार हल्का तहसील निवाई पर दर्ज रहन का इन्द्राज हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना करे।

निर्णय आज **दिनांक** 3/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)